धारा 138 : अपराधों का शमन

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या तो अभियोजन के संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी शमन रकम के ऐसी रीति में संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा शमन किया जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

[1][**(क)** किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (च), खण्ड (ज) और खण्ड (झ) तथा खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्ही के संबंध में शमन के लिये एक आर अनुज्ञात किया गया है;]

(ख) [2][.....]

[3][**(ग)** कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है;]

(घ) किसी व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है;

(ङ.) [4][.....]

(च) व्यक्तियों या अपराधों के किसी अन्य वर्ग, जो विहित किया जाए :

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात कोई शमन किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाइयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालेगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय

---

1 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (क) प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''**(क)** किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध और खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों, जो उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित हैं, के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया था;''

2 वित्त अधिनियम 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (ख) विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''**(ख)** किसी व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पूर्तियों के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन, खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार शमन के लिए अनुज्ञात किया गया था;''

3 वित्त अधिनियम 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (ग) प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''**(ग)** किसी व्यक्ति, जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का आरोप लगाया गया है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है;''

4 वित्त अधिनियम 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा खण्ड (ङ) विलोपित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :–

''**(ङ)** किसी व्यक्ति, जिस पर धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करने के लिए आरोप लगाया गया है; और''

करने के पश्चात् शमन अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के शमन के लिए रकम, [5][अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक] विहित की जा सकेगी।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसी शमन रकम के संदाय पर समान अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं होगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही कोई दांडिक कार्यवाही संस्थित है, तो वह समाप्त हो जाएगी।

उपयुक्त नियमः नियम 162

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी सीपीडी–01, जीएसटी सीपीडी–02

---

5 वित्त अधिनियम, 2023, दिनांक 31.03.2023 द्वारा ''न्यूनतम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हो, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत्, इसमें से जो भी उच्चतर हो,'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। प्रभावशील दिनांक 01.10.2023।